राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(160)एमई / ग्रुप–1 / 2013 जयपुर, दिनांक 17 AUG 2016

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 1996 दिनांक 30.04.2013 के द्वारा डॉ. चन्द्रिका गुप्ता को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। डॉ. चन्द्रिका गुप्ता को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ. गुप्ता ने दिनांक 21.05.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के पत्र दिनांक 24.05.2013 के द्वारा डॉ. गुप्ता को दिनांक 30.07.2013 तक के लिए समयावधि में अभिवृद्धि प्रदान कर सूचित किया गया।

डॉ. गुप्ता के स्वंय के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु समयावधि में वृद्धि करने के पश्चात भी डॉ. गुप्ता के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. गुप्ता नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ. गुप्ता के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. चन्द्रिका गुप्ता के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 30.04.2013 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(डी.एल. तंवर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन विशिष्ठ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एमई / ग्रुप–1 / 1996 दिनांक 30.04.2013 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
5. डा. चन्द्रिका गुप्ता, 4 / 566, जवाहर नगर, जयपुर (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव